न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(समुन्द्र सिंह भाटी आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्याः– 12/2022 निर्णय दिनांकः– 13/2/24

उनवान

1 प्रभु पुत्र बद्री जाति जाट, निवासी नला हाल निवासी भैरूपुरा तहसील निवाई
2 कैलाश पुत्र बद्री जाति जाट, निवासी नला हाल निवासी भैरूपुरा तहसील निवाई
3 यशोधरा पुत्र शोधरा पुत्र बद्री जाति जाट, निवासी नला हाल निवासी भैरूपुरा तहसील निवाई
4 शान्ति पुत्री बद्री जाति जाट, निवासी नला हाल निवासी भैरूपुरा तहसील निवाई
5 कमला पुत्री बद्री जाति जाट, निवासी नला हाल निवासी भैरूपुरा तहसील निवाई
6 गंगा पुत्री बद्री जाति जाट, निवासी नला हाल निवासी भैरूपुरा तहसील निवाई
7 सुंधना पुत्री बद्री जाति जाट, निवासी नला हाल निवासी भैरूपुरा तहसील निवाई
8 भुरी बेवा बद्री जाति जाट, निवासी नला हाल निवासी भैरूपुरा तहसील निवाई

वादीगण

बनाम

1 तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री शिवप्रसाद चौधरी–वकील वादीगण
श्री पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा

निर्णय

दिनांक–13/2/24

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक वाद पत्र बाबत **उदघोषणा** प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार खसरा नम्बर 667 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 635 रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 664 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 256 रकबा 12 बिस्वा ासरा नम्बर 257 रकबा 03 बिस्वा ासरा नम्बर 259 रकबा 03 बिस्वा ासरा नम्बर 260 रकबा 10 बिस्वा ासरा नम्बर 662 रकबा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 665 रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 65 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा खसरा नंम्बर 510 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 519 रकबा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 586 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 658 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 668 रकबा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 263 रकबा 04 खसरा नम्बर 269 रकबा 096 बिस्वा खसरा नम्बर 667

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 451 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 133 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 267 रकबा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 420 रकवा 04 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 464 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 788 रकवा 03 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 461 रकबा 02 बीघा खसरा नम्बर 456 रकवा 01 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 263 रकबा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 287 रकबा 18 बिस्वा ग्राम नला तहसील निवाई में स्थित है वादीगण मुताबिक जमाबन्दी हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 09.08.1999 को हो चुका है वादीगण स्व0 बद्री पुत्र गोपाल जो की वादी के पिता थे उनके वारिसान है। स्व. बद्री द्वारा अपने जीवनकाल में छोडे गये उक्त वाद वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पति होने के कारण वादीगण स्वतः ही हित व अधिकार प्राप्त कर चुके है इस कारण वादीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है वादीगण को उक्त वर्णित आराजियात का नामान्तकरण अपने नाम नही खुलने व अपनी भूमि अपने पिता बद्री के नाम अंकित होने की जानकारी राजस्व रिकार्ड निकालने पर प्राप्त हुई। तब वादी ने तहसीलदार निवाई को स्व0 बद्री का मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य भूमि में वादीगण का नाम वादीगण के पिता का विरासत वादीगण के हक में होने के दस्तावेज पेश किया परन्तु राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी व तहसीलदार निवाई द्वारा न्यायालय के आदेश लाने हेतु कहा इस कारण वादीगण न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पेश किया है।

उक्त भूमि बद्री के नाम होने व वादीगण के हक में विरासत का नामान्तकरण नही होने के कारण उक्त भूमि से जुडे हुए समस्त अधिकार व राजकीय सहायता व केसीसी के लिए आवेदन भी नही कर पा रहा है वाद कारण दिनांक 11.01.2022 को पैदा हुआ जब वादीगण ने तहसील निवाई से अपने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की जिसमें वाद वर्णित भूमि अपने स्व0 पिता बद्री पुत्र गोपाल का नाम अंकन होने की जानकारी प्राप्त हुई तब वादीगण द्वारा हल्का पटवारी को नामान्तकरण खोलने हेतु निवेदन करने पर राजस्व कर्मचारी द्वारा मना करने पर वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत उदधोषणा का डिक्री किया जावे कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि स्व0 बद्री पुत्र गोपाल के द्वारा छोडी गई भूमि का वादीगण वैध वारिसान व उतराधिकारी होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। तहसीलदार की तलबी करवायी गई । तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया

वादी की और से प्रभु पुत्र बद्री जाति जाट निवासी ग्राम नला का शपथ पत्र पेश किया गया।

वाद पत्र पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। वकील वादी ने दौरान बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि वादीगण के पिता बद्री पुत्र गोपाल जाट के नाम वाके ग्राम नला की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 2, 17, 19, 21, 65, 85, 152, 253, 286, 287, 302, 303, 304, 305, 330, 332, 333 में वर्णित आराजीयात

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक वाद में वर्णित भूमि सह खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वारिसान के नाम वादपत्र में वर्णित खाता संख्या में नामा. 1030 वाके ग्राम नला में दर्ज किया था। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.03.2000 को नामान्तकरण अस्वीकार किया जाने से नामान्तकरण नही भरने से न्यायालय में वाद वादीगण द्वारा किया गया है

तहसीलदार निवाई ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादीगण के पिता बद्री पुत्र गोपाल जाट के नाम वाके ग्राम नला की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 2, 17, 19, 21, 65, 85, 152, 253, 286, 287, 302, 303, 304, 305, 330, 332, 333 में वर्णित आराजीयात मुताबिक वाद में वर्णित भूमि सह खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पिता बद्री पुत्र गोपाल की मृत्यु हो चुकी है अतः उसके वारिसान प्रभु, कैलाश, पुत्रान यशोधरा, कमला, गंगा, सुगना , शान्ती, पुत्रिया भुरी, पत्नी बद्री जाति जाट कुल 8 वारिस है बिन्दु संख्या 2 में वर्णित वारिसान में सुगना पुत्री बद्री दर्ज नही है व वाके ग्राम भॅरूपुरा के नामा.संख्या 469 में सुगना पुत्री बद्री दर्ज है जो कि वास्तविक वारिस है उक्त वारिसान के नाम वादपत्र में वर्णित खाता संख्या में नामा. 1030 वाके ग्राम नला में दर्ज किया था। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.03.2000 को नामान्तकरण अस्वीकार किया जाने से वाद वादीगण द्वारा किया गया है

आदेश

फलतः वाद पत्र उदघोषणा बावत .खाता.संख्या. 2, 17, 19, 21, 65, 152, 286, 287, 302, 303, 304, 305, 330, 332, 333 ग्राम नला तहसील निवाई जिला टोंक में वादपत्र में वर्णित बद्री पुत्र गोपाल जाट के वारिसान को जमाबन्दी में हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होंकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक ...13/2/24... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(समदर सिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः– 12/2022
निर्णय दिनांकः– 13/2/2024

उनवान

प्रभु बनाम तहसीलदार

दावा बाबत उदघोषणा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू समदर सिंह भाटी ब हाजरी श्री शिवप्रसाद चौधरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता .खाता. सख्या. 2, 17, 19, 21, 65, 152, 286, 287, 302, 303, 304, 305, 330, 332, 333 ग्राम नला तहसील निवाई जिला टोंक में वादपत्र में वर्णित बद्री पुत्र गोपाल जाट के वारिसान को जमाबन्दी में हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner